



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 296 राँची, बुधवार,
1 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
22 मई, 2024 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

16 मार्च, 2024

विषय:- रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, राँची, झारखण्ड को पूर्व में स्वीकृत राशि ₹0 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख) प्रतिवर्ष के अनुदान को बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों के लिए राशि ₹0 352.80 लाख (तीन करोड़ बावन लाख अस्सी हजार रुपये) प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-05/बी०ए०यू०-31/2022-747-रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय, बेलूर मठ, हावड़ा, प० बंगाल का विस्तार केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, राँची, झारखण्ड में स्थापित है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, राँची, झारखण्ड को प्रतिवर्ष राशि ₹0 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख) अनुदान स्वीकृत करने हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची एवं रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, राँची, झारखण्ड के मध्य दिनांक-19.11.2018 को MOU (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित हुआ था।

2. MOU की अवधि समाप्त होने के पश्चात् रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची, झारखण्ड द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु पुनः अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है :-
 - (i) 5 Year Integrated (M.Sc.) in Agriculture, Rural and Tribal Development, Level-Integrated (UG +PG), Year-5 Years.
 - (ii) M.Sc. in Agriculture, Rural and Tribal Development, Level-PG, Year-2 Years.
 - (iii) MA/M.Sc. in Rural Development and Management, Level-PG, Year-2 Years.
 - (iv) B.Sc. (H) in Agriculture, Level-UG, Year-4 Years.
 - (v) B. Voc. in Sustainable Agriculture, Level-UG, Year-3 Years.
 - (vi) Diploma in Organic Farming, Level-UG, Year-1 Years.
 - (vii) 1-year Post-Graduate Diploma in Rural Development Practices, Level-PG Diploma, Year-1 Years.
 - (viii) Ph.D. in Agriculture, Rural and Tribal Development, Level-PhD
3. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची द्वारा अनुदान हेतु छात्रों की संख्या में पिछले वर्षों में लगभग तीन गुणा की वृद्धि होने तथा कुछ नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के कारण वार्षिक अनुदान राशि ₹0 10.00 करोड़ (दस करोड़) स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।
4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य उक्त पाठ्यक्रम के द्वारा युवा समूह को शिक्षित व विकसित करना तथा कृषि उदयमीयता को बढ़ावा देना है ।
5. झारखण्ड राज्य के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण कृषि शिक्षण को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वैसे संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार के स्थापित नियमों का पालन करते हो तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के विकास में सहयोग देते हो उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रसंगाधीन विश्वविद्यालय के उक्त श्रेणी में होने के कारण इसे पुनः वर्तमान MOU की अवधि की समाप्ति की तिथि से अगले 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनुदान स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है ।
6. समीक्षोपरांत रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची, झारखण्ड के Ref. No.-RKMVERI/RANCHI/GoJ-GRANT/2022 दिनांक-13.10.2022 एवं कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-5678 दिनांक-14.11.2023 के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची को दिये जाने वाले अनुदान की राशि ₹0 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख) प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल राशि ₹0 352.80 लाख (तीन करोड़ बावन लाख अस्सी हजार रुपये) प्रतिवर्ष अगले पाँच वर्षों के लिए रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची को निम्नानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	अनुदान की राशि (रु0 लाख में)
1.	2023-24	रु0 176.40 लाख
2.	2024-25	रु0 352.80 लाख
3.	2025-26	रु0 352.80 लाख
4.	2026-27	रु0 352.80 लाख
5.	2027-28	रु0 352.80 लाख
6.	2028-29	रु0 176.40 लाख

7. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची के बीच पूर्व में किये गये MOU की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इसकी समाप्ति की तिथि दिनांक-19.11.2023 से अगले 05 (पाँच) वर्षों के लिए MOU विस्तार हेतु रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची के बीच किये जाने वाले MOU अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। पूर्व में हस्ताक्षरित MOU में प्रावधानित अनुदान राशि को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान एवं शर्त पूर्ववत् हैं। कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची संलग्न MOU प्रारूप में नव स्वीकृत अनुदान राशि को समाहित करते हुए पूर्व के MOU की समाप्ति की तिथि से अगले पाँच वर्षों के लिए 15 दिनों के अन्दर रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची के साथ MOU हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. उपर्युक्त विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत नामांकन झारखण्ड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा। साथ ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षकेतर कर्मियों (वर्ग-III एवं IV) के नियोजन में झारखण्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. इस योजना के लिए पूर्व से गठित बजटशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट उपबंध किया जायेगा।
10. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची, झारखण्ड को पूर्व में स्वीकृत राशि रु0 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख) प्रतिवर्ष के अनुदान को बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों के लिए राशि रु0 352.80 लाख (तीन करोड़ बावन लाख अस्सी हजार रुपये) प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में संलेख जापांक-707 दिनांक-14.03.2024 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-16.03.2024 में मद सं0-24 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबकर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।
